बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

472

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–छतरपुर

निगरानी-2664/2018/छतरपुर/भू.रा.

श्री .... द्वारा आज दि. 1.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 17.5.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रामअवतार पुत्र श्री दशरथ दीन पाठक
निवासी – शिवराजपुर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1 बद्रीप्रसाद पुत्र श्री राजधर यादव
2 दयाराम पुत्र श्री राजधर यादव
3 हनुमत पुत्र श्री राजधर यादव
निवासी – शिवराजपुर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.......अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार चन्द्रनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

01/05/18

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार चन्द्रनगर जिला छतरपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मौजा शिवराजपुर में स्थित खसरा नं. 786/1, 803/2 रकवा क्रमशः 2.922, 1.342 है0 भूमि का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र पत्र प्रस्तुत किया जिसपर प्रकरण क्रमांक 52/अ–12/2016–17 पंजीबद्व किया गया। जिसमें राजस्व निरीक्षक चन्द्रनगर द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर सीमांकन कार्यवाही को सम्पूर्ण मानकर आदेश पारित कर दिया। जबकि उपरोकत प्रकरण में आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर ही प्रदान ही नहीं किया गय। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय की सीमांकन कार्यवाही अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार चन्द्रनगर द्वारा की गयी तथा कथित सीमांकन में आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि उन्हे उपरोक्त सीमांकन कार्यवाही की सूचना नहीं दी गयी है, जबकि वह पड़ोसी एवं सरहदी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2664/2018/छतरपुर/भू.रा. रामअवतार विरूद्ध बद्रीप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी नायब तहसीलदार चंद्रनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 52/अ-12/2016-17 सीमांकन आदेश दिनांक 05-02-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 25/01/19 (आर.के. जैन) सदस्य	